

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक:-24.04.2024

संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के हिन्दी विषय के अन्तर्गत अभ्यर्थियों की पात्रता की जाँच हेतु दिनांक 10.01.2024 को विचारित सूची जारी की गई थी।

उक्त विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों के अधिक संख्या में अपात्र पाये जाने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता है-

रोल नम्बर (टी.एस.पी. क्षेत्र)

3136909 3138423 3139797 3140497 3143364 3143480
TOTAL CANDIDATES:- 06

रोल नम्बर (नॉन टी.एस.पी. क्षेत्र)

3000576 3000711 3002605 3003988 3004827 3004864
3005892 3006896 3010588 3015072 3015519 3015531
3018450 3019199 3019458 3021531 3023240 3023314
3023978 3025145 3027021 3027477 3029223 3031665
3033752 3036961 3037355 3038334 3040519 3041689
3041907 3042752 3044272 3047016 3048575 3048691
3049431 3049775 3049858 3050065 3050758 3052292
3053039 3055436 3055693 3056182 3056407 3056890
3057624 3058171 3059212 3059410 3059494 3060606
3061084 3061260 3066271 3066934 3068629 3077954
3078756 3080241 3081731 3083731 3086369 3086838
3091706 3096237 3097484 3097682 3102306 3102733
3105058 3108953 3109110 3109727 3110755 3111924
3115060 3116247 3118191 3118769 3119334 3119780
3120707 3120976 3121224 3121326 3125783 3128204
3131644 3133283 3133776 3141115
TOTAL CANDIDATES:- 94

यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जायेगी।

दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउन्सलिंग के माध्यम से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउन्सलिंग के समय उपस्थित हों। काउन्सलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथासमय पृथक से सूचित कर दिया जायेगा।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता

आयोग द्वारा रद्द कर दी जायेगी तथा पात्र पाये गये अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जायेगी।

(रामनिवास मेहता)
सचिव